

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ 2 (ग) (एसीपी)/1990-II/अलेसे-I/ 4958-59 दिनांक:- 25/6/2015

कार्यालय आदेश संख्या32.../2015-16

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7) एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-I दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में श्री राजेन्द्र प्रसाद रैगर, सहायक लेखाधिकारी(वर्तमान में लेखाधिकारी) जिनकी जन्मतिथि 25.06.1964 है तथा जिन्होंने लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर दिनांक 15.06.1993 को कार्यग्रहण किया था। इन्होंने 18 वर्ष की राजकीय सेवा निरन्तर एवं सन्तोषजनक पूर्ण कर ली है, को दिनांक 15.06.2011 से लेखाकार के पद का द्वितीय ए.सी.पी. पी.बी.-2, 9300-34800 पे-बैंड एवं रुपये 4800/- ग्रेड पे में स्वीकृत किया जाता है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद रैगर, सहायक लेखाधिकारी(वर्तमान में लेखाधिकारी), के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008-I दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद रैगर, सहायक लेखाधिकारी(वर्तमान में लेखाधिकारी), के वांछित वार्षिक कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 27.07.12 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर गत 9 वर्षों में से 7 वर्षों की एपीएआर व संतोषजनक सेवा एव प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।


श्री राजेन्द्र प्रसाद रैगर, सहायक लेखाधिकारी(वर्तमान में लेखाधिकारी), का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88) एफडी नियम) 2008-I दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में ग्रेड पे 4200/- प्राप्त कर रहे हैं।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ 2 (ग) (एसीपी)/1990-II/अलेसे-I/ 4958-59 दिनांक:- 25/6/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद रैगर, लेखाधिकारी कार्यालय- निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।


(के.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)